

40

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2017

प्रस्तुती दिनांक /11/2017

**समक्ष: माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)**

**PBR/पुनर्विलोकन/खरगोन/भूरा/2017/4689**

1. भाईराम पिता मोतीराम गुजर,  
आयु- 62 वर्ष, कार्य- कृषि,
2. दुरपतबाई पिता मोतीराम गुजर,  
आयु- 50 वर्ष, कार्य- कृषि
- श्रीमति सरस्वती बेबा मोतीराम गुजर,  
आयु- 85 वर्ष, कार्य- गृहकार्य,  
सभी निवासीगण- ग्राम जेठवारा,  
तहसील- बडवाह जिला खरगोन।

श्री सुनील मिश्र पंडित  
द्वारा आज दि. 27-11-17 को  
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

27-11-17  
6-12-17

.....आवेदकगण

विरुद्ध

1. अवधेश कुमार चतुर्वेदी तहसीलदार बडवाह,  
जिला खरगोन, म.प्र.।
2. भीकाजी पिता जयरामजी गुजर
3. बबुलाल पिता भीकाजी
4. भगवान पिता काशीरामजी
5. दुर्गराम पिता भगवानजी
6. नारायण पिता वंशीरामजी गुजर  
समस्त निवासीगण जेठवाडा तहसील बडवाह  
जिला खरगोन, म.प्र.।

..... अनावेदकगण

आवेदन पत्र धारा 51 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा  
विविध प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/खरगोन/भूरा./2017/1865 में दिनांक  
07.9.17 को पारित आदेश का पुनःविलोकन करने बाबद।

27/11/17

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/पुनर्विलोकन/खरगोन/भू.रा./2017/4689 [भारताना आवेदन शुल्क]

स्थान तथा दिनांक


कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों  
आदि के हस्ताक्षर

6-12-2017

आवेदकगण के विद्वाने अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 3448-पीबीआर/16 में दिनांक 6-1-17 को अन्तरिम आदेश पारित कर, जो यथास्थिति के आदेश दिये गये थे, उसको देखते हुए अवमानना का प्रकरण निरस्त किया गया था । अतः यह पुनर्विलोकन आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।



  
(मनाज गोयल)  
अध्यक्ष